इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 508]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018-भाद्र 29, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ ए 3-29/2018/1/पांच (79) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

संशोधन

इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 22 के उपनियम (4) में, निम्निलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां कोई व्यक्ति, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंधन के लिए उपनियम (1) के अधीन तामील की गई सूचना का उत्तर देने के बजाए, सभी लंबित विवरणियां देता है और लागू ब्याज और विलंब शुल्क के साथ शोध्य कर का पूरा संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी, कार्यवाहियों को समाप्त कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 में आदेश पारित करेगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 36 के उपनियम (2) में, निम्निलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यदि उक्त दस्तावेज में सभी विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट नहीं है, किंतु प्रभारित कर की रकम के ब्यौरे, माल या सेवाओं का विवरण, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का कुल मूल्य, प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता का माल और सेवा कर पहचान संख्यांक और अंतर्राज्यिक प्रदाय की दशा में प्रदाय का स्थान अंतर्विष्ट है तो, ऐसे रिजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया जा सकेगा।"

- 4. उक्त नियमों के नियम 55 के उपनियम (5) में, "या पूर्णतया नाक्ड-डाऊन स्थिति" शब्दों के पश्चात्, "या बैचों अथवा लाटों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 5. उक्त नियमों के नियम 89 के उपनियम (4) के खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :--
 - '(उ) "समायोजित कुल आवर्त" से, सुसंगत अवधि के दौरान--
 - (क) धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित, किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त का, सेवाओं के आवर्त को छोड़कर; और
 - (ख) उपरोक्त खंड (ई) के निबंधनों में अवधारित सेवाओं के शून्य-दर प्रदाय और सेवाओं के गैर-शून्य दर प्रदाय के आवर्त के मूल्य का कुल योग अभिप्रेत है, जिसमें,--
 - (i) शून्य-दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों का मूल्य ; और
 - (ii) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिनके संबंध में उपनियम (431) या उपनियम (4311) या दोनों के अधीन प्रतिदाय, यदि कोई हो, का दावा किया गया है,

सम्मिलित नहीं है।'

- 6. उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम, 23 अक्तूबर, 2017 से रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को--
 - (क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 3-74-2017-1-पांच(173) दिनांक 18-10-2017 या अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 3-76-2017-1-पांच(139) दिनांक 23-10-2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के फायदों का उपयोग किया है; या
 - (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के फायदों का उपयोग नहीं करना चाहिए।"
- 7. उक्त नियमों के नियम 138क के उपनियम (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि आयातित माल की दशा में, प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे माल के आयातकर्ता द्वारा फाइल किए गए प्रवेश पत्र की प्रति का भी वहन करेगा और प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में प्रवेश पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित करेगा।"

8. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"जीएसटी आरईजी-20

[नियम 22(4) देखें]

संदर्भ संख्या -

तारीख:

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/युआईएन

कारण बताओ सूचना संख्या -

तारीख:

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण हेतु कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के जवाब में आपके द्वारा एआरएन, तारीख द्वारा फाइल किए गए उत्तर को निर्दिष्ट करें। आपके उत्तर और/या सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों पर विचार करने पर, रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से रद्द की जाती हैं:

या

उपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए जारी की गई थी। चूंकि आपने पूर्वोक्त सूचना के जारी करने की तारीख को बकाया सभी लंबित विवरणियां फाइल कर दी हैं, और लागू ब्याज और विलंब फीस के साथ कर का पूर्ण संदाय कर दिया है, अत: रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं।

हस्ताक्षर

< अधिकारी का नाम ·

पदनाम

अधिकारिता

स्थान :

तारीख: ।

9. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"जीएसटी आईटीसी-04

[नियम 45(3) देखें]

छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए और उससे वापस प्राप्त माल/पूंजी माल के न्यौरे

- 1. माल और सेवा कर पहचान संख्यांक --
- 2. (क) विधिक नाम -
 - (ख) व्यापार का नाम, यदि कोई है -

3. अवधि :

तिमाही -

वर्ष-

4. छूटपूट कार्य के लिए भेजे गए इनपुटां/पूंजी माल के ब्यौरे (जिसमें छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार के कारबार के स्थान/परिसर पर सीधे भेजे गए इनपुट/पूंजी माल भी हैं) :

पहचान छूटपूट हार की]				्री _ह ,		कर की	दर %	
माल और सेवा कर पह संख्यांक/अरजिस्ट्रीकृत छूर कार्य करने वाले कर्मकार दशा में राज्य	चालान संख्यांक	चालान तारीख	माल का विवरण	युक्यूसी	मात्रा	कराधेय मूल्य	माल का प्रकार (इनपुट/प्जी माल)	केंद्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	. 8	9	10	11	12

5. छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार से वापस प्राप्त या छूटपूट कार्य के कारबार के स्थान से बाहर भेजे गए इनपुटों/पूंजी माल के ब्यौरे:

(क) छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार से, जिसे ऐसा माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था, वापस प्राप्त इनपुटों/पूंजी माल ; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे:

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्टीकृत है, का राज्य	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान की तारीख, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है चालान तारीख	माल का विवर्ण	युन्यूमी	मात्रा	मूल चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	मूल चालान की तारीख, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा किए गए छूटपूट कार्य की प्रकृति	म् स्थापी स्थापी	ान और गशिष्ट
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(ख) छूटपूट कार्य करने वाले ऐसे कर्मकार से, जिसे मूल रूप से ऐसा माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था, भिन्न छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार से वापस प्राप्त इनपुटौ/पूंजी माल; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे:

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत है, का राज्य	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान की तारीख, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है चालान तारीख	माल का विवर्ण	। यूक्यूसी	मात्रा	मूल चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	मूल चालान की तारीख, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	छूटपूट कार्य करने वाले कर्नकार द्वारा किए गए छूटपूट कार्य की प्रकृति	यूक्यूसी	ान और शिष्ट
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(ग) छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए और तत्पश्चात् छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार के परिसर से प्रदाय किए गए इनपुटों/पूंजी माल; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे:

	7	·				,,				
					·			,		
						. *				
									ŀ	
									ļ	
				ĺ						
									•	
									佞	
									यूक्यूसी	भात्रा
									ेंद्र	ਜ
1	2	3	4	5	6	7°	8,	9	10	11
				-	·					
		,								
										,

अनुदेश :

- 1. एकल चालान के लिए मदों की बहु प्रविष्टियां भरी जाएं।
- 2. उन मामलों में, जिनमें छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा नए चालान जारी करना अपेक्षित है, सारणी (क) और सारणी (ख) के स्तंभ 2 और स्तंभ 3 आज्ञापक है।
- 3. जहां छुटफुट कार्य के लिए भेजे गए माल और छुटफुट कार्य के बाद प्राप्त माल के बीच आपस में पत्राचार संभव नहीं है, वहां सारणी (क), सारणी (ख) और सारणी (ग) के स्तंभ 7 और स्तंभ 8 न भरे जाएं।

6. सत्यापन

मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान :

तारीख

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम......

पदनाम/प्रास्थिति

10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आर-8 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

उपाबंध-क

वार्षिक विवरणी

पीटी ।	्रिका से देवे । (विकास के देवे) का डर कम्म ण सल ड्योरे
1	वित्तीय वर्ष
2	जी एस टी आई एन

				****		101			
3क	विधिक नाम	w Maria Andrew	Summer Services		The second secon				
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)	75						
मेंदो.॥	मिदीः॥ वितीय वर्ष के दौरान घोषित जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे								
	(सभी सारणियों में रकम रुपये में)								
	प्रदायों की प्रकृति	कराधेयं मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ससंघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर			
	1	2	3	4	5	6			

वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणी में जो घोषित कर के रूप में संदेय है, पर अग्रिम, आवक और जावक प्रदाय के ब्यौरे

			जावक प्रदार	ય જા જ્વાર		
क	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय					
	(ख2ग)					
ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ख)	·				
	कर संदाय (विशेष आर्थिक					
ग	जोनों से भिन्न) शून्य	,				
	रेटेड प्रदाय (निर्यात)					
घ	कर संदाय पर विशेष					
	आर्थिक जोन को प्रदाय					
ਤੋ.	समझा गया निर्यात					
	अग्रिम जिस पर कर संदत					
	हैं, परंतु बीजक जारी नहीं					
च	किए गए हैं (उपर्युक्त (क)					
	से (ड.) के अधीन					
	समावेशित नहीं है					
	आवक प्रदाय जिस पर			,		
छ	रिवर्स भार के आधार पर					
	कर संदत्त किया जाना है			-		
ज	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ तक)					
	उपर्युक्त (ख) से (इ.) में			<u> </u>	<u></u>	
झ	विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के					
	संबंध में जारी साखपत (-)					
	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में					
ञ	विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के				1	
	संबंध में जारी नामे नोट			-		1
	(+)					
<u>ح</u>	संशोधनों (+) के माध्यम					
	से घोषित प्रदाय / कर			ļ		
8	संशोधनों (-) के माध्यम					
	से घटी हुई प्रदाय / कर					
ਤ	(उपर्युक्त झ से ठ) का					
·			1	<u> </u>		

1	आंशिक योग	
	प्रदाय और अग्रिम जिस	
ढ	पर संदत किया जाना है,	이 발발 보는 생각하다. 그는 생각의 물건이다. 그리고 중이 기업 및 및 기업
	उपर्युक्त (ज+ड)	

ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथाघोषित कर संदेय नहीं है

क	कर संदाय के बिना शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)	·			
ख	कर संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोनों की प्रदाय				
ग	प्रदाय जिस पर उलटे गए भार के आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा संदाय किया जाना है				
घ	छूट-प्राप्त				
ਤ.	शून्य रेटेड	 ;			
च	गैर - जी एस टी प्रदाय				7721
छ	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ)				
ज	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)				
झ	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)				
ञ	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय			4	
	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय				
ठ	आंशिक योग (उपर्युक्त ज से ट)	7. 6.1			
Ē	आवर्तन जिस पर संदत किया जाना है, उपर्युक्त (छ+ढ)				
ढ	कुल आवर्तन (अग्रिम सहित) उपर्युक्त ४ढ + 5ड -४छ)				

विवरण	प्रकार	केंद्रीय कर	राज्यकर/ससंघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6 वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रूप में उपयोग किए गए आई टी सी के ब्यौरे

क	प्ररूप जी एस टी आर-3ख उपभोग की गई निवेश क	र प्रत्यय की				
	कुल रकम (प्ररुप जी एस के सारणी 4क कर बु	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	आटो	आटो	- आटो	आटो
	आवक प्रदाय (रिवर्स भार	निवंश				
ख	के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से	पूंजी माल				
	भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं)	निवेश सेवाएं				
	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख	निवेश				
	से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से	पूंजी माल				
ग	प्राप्त आवक प्रदाय जिस					
	पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया	निवेश सेवाएं				
	गया है		**			
	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख	निवेश				
	से भिन्न) के लिए दायी	पूंजी माल				
	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से					
घ	प्राप्त आवक प्रदाय जिस		:			
	पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया	निवेश सेवाएँ			· 	
	गया है		-		·	
ਤ.	मालों का आयात (विशेष	निवेश				
	आर्थिक जोनों से प्रदाय शामिल)	पूंजी माल				
ਬ	सेवाओं का आयात (विशेष	आर्थिक जोनों			***************************************	
	से आवक प्रदाय छोड़कर)					
ন্ত ন	आई एस डी से प्राप्त निवेश	بالتائب كالمناف المناف الم	·····			
	अधिनियम के उपबंधों					Í
ਗ	पुननिर्मित आई टी सी (उपर्युक्त ख से कि					
झ	आंशिक योग (उपर्युक्त					
ਤ	अंतर (उपर्युक्त झ					·····
ट	टी आर ए एन- । के माध्य प्रत्यय (पुनरीक्षण सहित, र	म से संक्रमण				

ਰ	टी आर ए एन- II के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय	
ड	उपभोग की गई किन्तु उपर विनिदिन्द नहीं की गई कोई अन्य आई टीसी	: .
ढ	आंशिक योग (उपर्युक्त ट से इ सक्ते	
ण	उपभोग की गई कुल आई टी से (उपर्युक्त झ + ढ)	

वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रूप में प्रतिवर्ती आई टी सी के और अपात्र आई टी सी के ब्यौरे

क	नियम 37 के अनुसार				.
ख	नियम 39 के अनुसार	-MITTOWN .			
ग	नियम 42 के अनुसार				
घ	नियम 43 के अनुसार				
ਤ.	धारा 17 (5) के अनुसार				
च	टीआर ए एन - । प्रत्यय का उसटाव		-].
छ	टीआर ए एन - 1 । प्रत्यय का उसहाव				
ज	अन्य उलटाव (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		·		
· झ	कुल प्रतिवर्तित आई सी टी (उपर्यु क्स क से ज)				
ञ .	उपयोग के लिए उपलब्ध शुद्ध आई दी सी (6ण-7झ)				

क	जी एस टी आर -2क के अनुसार आई टी सी	आटो	आटो	आटो	आटो
ख	उपर्युक्त 6(ख) और 6(ज) की कुल रकसः के अनुसार आई दी सी	आटो			
म	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त आवक प्रदाय पर आई टी सी (दिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न) परंतु विशेष आर्थिक जौनों से प्राप्त सेवाओं सहित) परंतु अप्रैल से सितंबर, 2018 के दौरान उपभोग किए गए				
घ	अंतर (क- ख +ग)				
ਭ.	उपलब्ध आई टी सी परंतु उपभोग न की गई (घ में से)				
च	उपलब्ध आई टी सी परंतु अनुपंयुक्त (ध में से)				
छ	मालों के आयात पर संदत आई जीएसटी (विशेष आर्थिक जाने से प्रदाय सहित)				AND THE PROPERTY OF THE PROPER

					,
	मालों के आयात पर उपभोग की गई				
ज	आई जीएसटी प्रत्यय (उपर्युक्त ६(इ.) के				
	अनुसार	आटो			
झ	अंतर (छ-ज)				
ञ	मालों के आयात पर उपलब्ध आई दी सी				
У	परंतु उपयोग न की गई (झ के समान)				
7	चाल् वितीय वर्ष में व्ययगत होते बाता				
	कुल आई टी सी (ड. 🕸 + 🖦 💨	आटो	आटो	आटो	आटो

अन्य जानकारी

पीटी.

VI			म	ाग और प्रातदा	य				
15					आइ टा सा क माध्यम सं सदत				
9	विवरण	संदे य कर	सदत्त	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	समेकित कर	उपकर		
	1	2	3	4	5	6	7		
	एकीकृत कर								
	केंद्रीय कर								
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर								
	उपकर								
	ब्याज								
	विलंब फीस	1	······································						
	शास्ति								
	अन्य								

चालू वितीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की विवरणियों में घोषित पूर्व वितीय वर्ष के या पूर्व वितीय वर्ष की विशिष्टियां वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संव्यवहारों की विशिष्टियां

	विविरण	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	.4	5	· 6
10	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर(शुद्ध नामे नोट)					
11	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय/ कर(शुद्ध साख पत्र)		· · ·			
12	पूर्व वितीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई आई टी सी का उलटाव					

पूर्व वितीय वर्ष के लिए उपभोग की गई आईटीसी

	उपर्युक्त 10 और 11 में घोष णा के कारण संदत्त अंतरीय कर									
C 10 5 of 2 100 (10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	विविरण	संदेय	संदत्त							
	1	2	3							
	एकीकृत कर									
	केंद्रीय कर									
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर									
	उपकर									
	ब्या ज									

्र श टे: इंग्रि ग े 15	
V	अन्य जानकारी
建 泵: 40字	
<u>1</u> 15	मांग और प्रतिदाय का विवरण

		*-	राज्य/संघ					
	ब्यौरा	केंद्रीय	राज्य					<u> </u>
		कर	क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/ अन्य
	1	2	3	4	5			
]	कुल							
क	दावाकृत							
	प्रतिदाय							
	कुल मंजूर							
ख	मंजूर							
	प्रतिदाय							
	कुल							ye <u>ş</u>
ग	अस्वीकृत	-						
	प्रतिदाय			·				
	कुल लंबित							
घ								
	प्रतिदाय							
ਤ.	कुल करों की मांग			·		·		
3.	की मांग					·		
	उपर्युक्त इ. के				·			
च	संबंध में			,				
	संदत्त		ĺ			ĺ		
	कुल कर				ļ	}		
	उपर्युक्त			***************************************				
-	ड. में से				1			
छ	लंबित							
	कुल मांग							

धारा 143 के अधीन समिश्रण कर दाताओं, समझी गई प्रदाय से प्राप्त प्रतियों पर जानकारी और अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल

	ब्यौरे	संदेय मूल्य	कंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	. 3	4	5	6
क	समिश्रण करदाताओं तो ः प्राप्त प्रदाय					
ख	धारा 143 के अधीन समझो गई प्रवास					·
ग	अनुसोदन आधार पर, भेजा गया माल, जो वापस ग र्स -आया					

जावक प्रदायों का सारांश वार एचएसएन

एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	संदे य म् त्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

18 आवक प्रदायों का एचएसएन वार सारांश

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	संदे य म् त्य	कर की द	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

	संदे	य और संदत्त विलंब फीस	
	् विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
क	केंद्रीय कर		
ख	राज्य कर		

सत्यापन :

में, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके लाभ को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को प्रदान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का नाम

तारीख:

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :--

1. प्रयुक्त पद :

क. जीएसटीआईएन :

माल और सेवा कर पहचान संख्या

ख. युक्यूसी :

यूनिट मात्रा कूट

ग. एचएसएन :

नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति

2. इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं।

3. भाग II में वित्त वर्ष के दौरान सभी जावक प्रदायों और प्राप्त अग्रिम के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है। भाग 2 में फाइल किए गए ब्यौरे वित्त वर्ष के दौरान करदाता द्वारा फाइल की गई विवरणियों में घोषित सभी प्रदायों का समेकन है। भाग 2 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है:

	में घोषित सभी प्रदायों का समेकन है। भाग 2 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं :
सारणी सं.	
4क.	उपभोक्ताओं और अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर
	संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इनमें ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से
	की गई प्रदायों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और उनकी इस संबंध में जारी किए गए जमा पत्र
	या नामे नोट के शुद्ध के रूप में घोषणा की जानी है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
	जीएसटीआर-1 की सारणी 9 और सारणी 10 में क्रमश: संशोधनों के साथ सारणी 5, सारणी-7
	का उपयोग किया जा सकेगा।
4ख.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य(जिसके अंतर्गत यूआईएन को किए
	गए प्रदाय भी हैं) जिस पर कर संदत किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इनमें ई-
	वाणिज्यिक प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदाय यां सम्मिलित होंगी किंतु इनमें ऐसी प्रदाय
•	यां सम्मिलित नहीं होंगी, जिन पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय
	किया जाना है। नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों का पृथक रूप से वर्णन किया जाना है।
	इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4क और सारणी 4ग का उपयोग
	किया जा सकेगा।
4ग.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय), जिस पर कर
	संदत किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
	जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा।
4घ.	विशेष आर्थिक जोन को प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां
	घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का
	उपयोग किया जा सकेगा।
4ন্থ.	समझे गए निर्यात की प्रकृति की प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है,
	की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ग
	का उपयोग किया जा सकेगा।
4च.	असमायोजित अग्रिमों के ब्यौरे, अर्थात् अग्रिम प्राप्त किया गया है और कर संदत्त किया गया
	है किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों
	को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 11क का उपयोग किया जा सकेगा।
4छ.	सभी आवक प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसके अंतर्गत अग्रिम और शुद्ध प्रत्यय और नामे नोट
	भी हैं) जिन पर कर का प्राप्तिकर्ता द्वारा (अर्थात वार्षिक विवरणी फाइल करने वाले व्यक्ति
	द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर संदाय किया जाना है। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों,
	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिन पर अन्लोम प्रभार आधार पर कर
	उदग्रहित किया गया है। इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सम्मिलित

	होगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3खे की सारणी 3.1(घ) का उपयोग
	किया जा सकेगा।
4झ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात
	(4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात
	(4ड) की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की
	सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
4퍼.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामें नोट (4ख), निर्यात
' ''	(4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात
	(4ड) की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की
	सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
47 34-	
t .	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों
4ਰ.	को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ड), जमा
	पत्र (4झ), नामे नोट (4ञ) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को
	भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा
	सकेगा।
5क.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर
	संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
	जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा।
5ख.	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया
	है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी
	6ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5ग.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा
	अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है। नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक्
	रूप से की जानी है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का
	उपयोग किया जा सकेगा।
5घ, 5ङ	छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की
और 5च.	जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा
	सकेगा।
 5ज.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र
	मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की
:	सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5झ.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के समग्र
- γι.	मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की
Far 1#-	सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5ञ और 5च	निर्यात (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) में किए गए संशोधनों के ब्यौर
5군.	और विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदाय यां, जिन पर कर संदत नहीं किया गया है, की
	यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ग का
	उपयोग किया जा सकेगा।
5ढ.	कुल आवर्त, जिसके अंतर्गत सभी प्रदायों (अतिरिक्त प्रदायों और संशोधनों सहित) का योग
	सम्मिलित है, जिस पर कर संदेय है और कर संदेय नहीं है, की यहां घोषणा की जाएगी।
	इसके अंतर्गत अग्रिम की रकम भी सम्मिलित होगी, जिस पर कर संदत्त किया गया है, किंतु
	चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, इसमें आवक प्रदायों का ऐसा समग्र मूल्य
	सिन्मिलित नहीं होगा, जिस पर प्राप्तिकर्ता (अर्थात् वार्षिक विवरण फाईल करने वाले व्यक्ति
	द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर कर संदत किया गया है।

4. भाग III में लिए गए सभी इनपुट कर प्रत्यय और वित्त वर्ष में उलट दिए गए कर प्रत्यय के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की जाती है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए गए अनुसार है

सारणी सं.	अनुदेश
6क.	करदाता के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ख में लिए गए कर प्रत्यय को स्वतः
	यहां दिया जाएगा।
6ख.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, सिवाय उनके जिन पर
	कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, किंतु इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त
	सेवाओं की प्रदाय की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए
	कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के
	रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी
	4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा।
	जिसमें ऐसी आईटीसी सम्मिलित नहीं होगी जिसका उपभोग, रिर्वस किया गया था और
	तत्पश्चात् आईटीसी लेजर में उसका पुनः दावा किया गया था। इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में
	प्रथक रूप से की जानी चाहिए।
6ग.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3-1.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का
}	समग्र मूल्य, (सेवाओं के आयात से भिन्न), जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है,
	की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर
	प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत
	किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का
<u></u>	उपयोग किया जा सकेगा।
6घ.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का
	समग्र मूल्य, जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी।
	यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और
	इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने
	के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा।
6ਝ.	मालों के आयात पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक
	जोनों से प्राप्त मालों की प्रदाय भी है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा
	सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट और पूंजी माल पर इनपुट कर
	प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख
	की सारणी 4(क)(1) का उपयोग किया जा सकेगा।
6च.	सेवाओं के आयात (विशेष आर्थिक जोनों से जावक प्रदायों को अपवर्जित करते हुए) पर लिए
	गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए
	प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(2) का उपयोग किया जा सकेगा।
6ন্ত.	इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी।
	इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(4) का उपयोग किया जा
	सकेगा।
6ज.	अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपभोग किए गए, उलटे गए और पुन: दावा किए गए इनपुट
	कर प्रत्यय की समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी।
6ञ.	प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम और पंक्ति
	ख से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर की यहां घोषणा की जाएगी। आदर्श
	रूप में यह रकम शून्य होनी चाहिए।
6ਟ.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1, जिसके अंतर्गत टीआरएएन-1 (चाहे आरोही या अधोमुखी हो) का

	पुनरीक्षण है, को फाइल करने पर इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों,
	यदि कोई हों, की यहां घोषणा की जाएगी।
6ਰ.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 को फाइल करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्राप्त
	अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी।
6ਭ	उपभोग किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे जो उपरोक्त 6ख से 6ठ के अधीन विनिर्दिष्ट किसी
	शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, घोषित किए जाएंगे। वितीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01 और
	प्ररूप-आईटीसी-02 के माध्यम उपभोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे यहा घोषित किए जाएंगे।
7क, 7ख,	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 37, नियम 39, नियम 42 और
7ग, ७घ,	नियम 43 के अधीन अपेक्षित पात्र न होने या उलटने के कारण उलटे गए इनपुट कर प्रत्यय
7ङ, 7च,	के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी। इस स्तंभ में मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,
7छ और	2017 की धारा 17(5) के अधीन उलटे गए किसी इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे और प्ररूप
7ज	जीएसटी टीआरएएन-1 या प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 के अधीन दावा किए गए अंतरण
	प्रत्यय, जो पात्र नहीं है, जिसे पश्चातवर्ती रूप से उलट दिया गया है, के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट
	होने चाहिए। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग
	किया जा सकेगा। प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से उलटे गए किसी आईटीसी को 7ज में
	घोषित किया जाएगा।
8क.	वर्ष 2017-18 के दौरान और प्ररूप जीएसटीआर-2ख में दर्शाया गया आवक प्रदायों के लिए
	उपलब्ध प्राप्त कुल प्रत्यय (आयात और अनुलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदायों से भिन्न,
·	किंतु जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाएं हैं) को इस सारणी में स्वत: दर्शाया
	जाएगा। यह उन सभी इनपुट कर प्रत्ययों का समग्र होगा, जिनकी तत्स्थानी प्रदाय कारों
	द्वारा अपने प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषणा की गई है।
8ख.	सारणी 6ख में यथा घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दिखाया जाएगा।
8ग.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उन, जिन पर
	अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय हैं, किंतु इसमें जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान
	विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल से
•	सितंबर, 2018 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने
	के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा।
8ङं और	इनपुट कर प्रत्यय, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क (केवल सारणी-3 और सारणी-5) में उपलब्ध था
8च.	किंतु जिसको किसी प्ररूप जीएसटीआर-3ख विवरणी में नहीं लिया गया है, की यहां घोषणा की
	जाएगी। उस प्रत्यय को प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जो उपलब्ध था किंतु
	जिसको नहीं लिया गया है या प्रत्यय को नहीं लिया गया क्योंकि वह पात्र नहीं था। दोनों
	पंक्तियों का कुल योग 8घ में के अंतर के बराबर होना चाहिए।
8छ.	वित वर्ष के दौरान आयात के समय संदत्त आईजीएसटी (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जाने
	से आयात हैं) के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी।
8ज.	सारणी 6ङ में घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दर्शित किया जाएगा।
8 c .	कुल इनपुट कर प्रत्यय, जो चालू वित्त वर्ष के लिए व्यपगत हो जाएगा, की इस पंक्ति में
t e	संगणना की जाएगी।

^{5.} भाग IV वित्त वर्ष के दौरान संदत्त वास्तविक कर है। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 6.1 के अधीन कर के संदाय का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

^{6.} भाग V में पूर्व वितीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं किन्तु जिनकी घोषणा चालू वितीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की विवरणी में या पूर्व वितीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को (उदाहरण के लिए वितीय 2017-2018 के लिए वार्षिक विवरणी में वितीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से

सितंबर 2018 में घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), इनमें से जो भी पूर्वतर हो, घोषित किया गया है। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं:

सारणी सं.	अनुदेश
10 और 11.	पूर्व वित्त वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित किसी आप्रदाय में वर्धन या संशोधन के ब्यौरे
	किंतु ऐसे संशोधनों को चालू वितीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के प्ररूप जीएसटीआर-1 की
	सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में या पूर्व वितीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल
	करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, में घोषित किया गया था, यहां घोषित किए
	जाएंगे।
12.	इनपुट कर प्रत्यय के उलटने का समग्र मूल्य, जिसको पूर्व वित्त वर्ष के दौरान लिया गया था,
	किंतु जिसको चालू वितीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए फाइल विवरणी में उलट दिया
	गया था या पूर्व वितीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, इनमें से जो भी
	पूर्वतर हो, को यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख
	की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा।
13	पूर्व वितीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के आईटीसी के ब्यौरे, किंतु उसका उपभोग आईटीसी
	चालू वितीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए या पूर्व वितीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी
	फाइल करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, फाइल की गई विवरणियों में किया
	गया था, यहां घोषित किए जाएंगे, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को
	फाइल किए जाने हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

7. भाग VI में अन्य सूचना के ब्यौरे हैं। भाग 6 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
15क,15ख, 15ग	दावा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत और प्रसंस्करण के लिए लंबित प्रतिदाय के समग्र मूल्य की
और 15घ	यहां घोषणा की जाएगी। दावा किया गया प्रतिदाय वितीय वर्ष में फाईल किए गए सभी
	प्रतिदाय दावों का समग्र मूल्य होगा और इसके अंतर्गत वह प्रतिदाय हैं, जिन्हें स्वीकार किया
	गया है, अस्वीकार किया गया है या जो प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं। स्वीकृत प्रतिदाय से
	सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का समग्र मूल्य अभिप्रेत है। लंबित प्रतिदाय सभी प्रतिदाय
	आवेदनों, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त की गई है, की समग्र रकम होगी और इसके अंतर्गत
	प्राप्त अनंतिम प्रतिदाय नहीं है। इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय दावो के ब्यौरे नहीं है।
15इ., 15च और	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश
15ন্ত	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा। पुष्ट की गई
	मांग के कुल मूल्य पर संदत करों का समग्र मूल्य की, जो ऊपर 15ड. में घोषित किया गया है
	की घोषणा की जाएगी। उपरोक्त 15ड. में लंबित वसूली की मांगों का कुल मूल्य यहां घोषित
	किया जाएगा।
16क	संरचना करदाताओं से प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप
	जीएसटीआर-3ख की सारणी 5 का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
16ख	मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धार 143 की उपधारा (3) और उपधारा
	(4) के निबंधनानुसार मालिक से फुटकर कामगारों तक सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य
	यहां घोषित किया जाएगा।
16ग	ऐसे मालों के लिए, जिन्हें अनुमोदन आधार पर भेजा गया था किन्तु ऐसे प्रदाय के एक सौ
	अस्सी दिन के भीतर प्रधान प्रदायकर्ता को वापस नहीं लौटाया गया था, सभी समझे गए
	प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
17 और 18	विशिष्ट एचएसएन के प्रति किए गए और प्राप्त किए गए प्रदायों का सार केवल इस सारणी में

	रिपोर्ट किया जाए। यह उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा, जिनका वार्षिक आवर्त 1.50
	करोड़ रुपए तक है। यह ऐसे करदाताओं के लिए दो अंकों वाले स्तर पर एचएसएन कोड को
	रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए है किन्तु
	5.00 करोड़ रुपए तक है और चार अंकों वाले स्तर पर उन करदाताओं के लिए, जिनका
	वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है। माल के प्रदाय के लिए युक्यूसी ब्यौरे ही प्रस्त्त
	किए जाएं। मात्रा विवरणियों के कुल योग के रूप में रिपोर्ट की जानी है। सारणी-17 में के
	ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 12 का उपयोग किया जा सकेगा।
19	विलंब फीस संदेय होगी, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है।

उपाबंध-ख

संरचना करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-१क (नियम 80 देखिए) वार्षिक विवरण (संरचना करदाता के लिए)

आधारिक ब्यौरे भाग-I वितीय वर्ष जीएसटीआईएन 2 विधिक नाम 3क स्व व्यवसाय नाम (यदि कोई हो) 3ख स्व वर्ष (.....सेतक) के दौरान संरचना स्कीस की अवधि पूर्व वितीय वर्ष का कुल आवर्त 💨 5 (सभी सारणियों में रुपए में रकम) वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में घोषित जावक और आवर्त प्रदायों के ब्यौरे

वर्णन आवर्त कर की केंद्रीय राज्यक्षेत्र एकीकृत उपकर कर कर कर कर कर 7

6 ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथोघोषित कर संदेय है कराधय ब छूट प्राप्त, शून्य दर

ग

7 ऐसे आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिन पर कर वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में घोषित प्रतिलोम प्रभार आधार (नामे नोट/जमा पत्रों का योग) पर संदेय हैं

ŀ		🖺 वाषित प्रातलाम प्र	मार आधार ('	गाम गाट/जमा पत्रा	જાા ચાય) પ	ार सद्ध ह	
		विवरण	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
L		1	, 2	3	4	5	6
	क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के					·
L	•	लिए दायी आवक प्रदाय					
	ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के					

	लिए दायी आवक प्रदाय]		
ग	सेवाओं का आयात					
,,,,	उपरोक्त (क), (ख) और (ग)			_		
घ	पर संदेय श्द्ध कर					
8	वित्तीय वर्ष के दौरान की गई विवरणिय	ों में यथाघो	षित अन्य	आवक प्रदा	यों के ब्यौरे	•
	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से			· ·		
क	प्राप्त आवक प्रदाय (उपरोक्त					
	7क से भिन्न)		1			
ख	माल का आयात					
भाग-I	and the second s	•		ग घोषित संव	दत कर के	ब्यौरे
9	वर्णन	कुल संदेय व	कर	संदत्त		
	(1)	(2)		(3)		and the state of the
	एकीकृत कर	<u> </u>				s chiliforn
	केंद्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		······································	<u> </u>		
	उपकर					
	ब्याज					
	विलंब फीस	4. -1 -2	······································			
		· 1		}		manarajas ili a
गग-IV	जान का ताराख तक इनम स जा भा प	ी ो या पूर्व वि पूर्वत्तर हो, वि वहारों की	विवरणियों	में घोषित पृ	विवरणी वे दूर्व वित्तीय	क फाईल वर्ष के लि
गग-IV	, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प्	र्वृत्तर हो, र्	विवरणियों	में घोषित पृ	विवरणी वे र्वि वित्तीय ^र 	क फाईल वर्ष के ि
ग्ग−IV	, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प्	र्वृत्तर हो, र्	विवरणियों	में घोषित पृ i	विवरणी वे र्वु वित्तीय एकीकृत	वर्ष के ति
गाग-IV	, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प्	र्वृत्तर हो, र्	वेवरणियों विशिष्टिय 	में घोषित पृ ं राज्य कर/	र्वि वित्तीय 	क फाईल वर्ष के ि उपकर
IV	, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प्	र्वृत्तर हो, र्	विवरणियों विशिष्टिय कंद्रीय	में घोषित पृ i राज्य कर/ संघ	र्व वित्तीय व	वर्ष के ति
गग-IV	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प् संव्य वर्णन	र्वृत्तर हो, र्व वहारों की	विवरणियों विशिष्टिय कंद्रीय	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र	र्व वित्तीय व	वर्ष के ति
	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प् संव्य वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर	र्वृत्तर हो, र् वहारों की वारों की	विवरणियों विशिष्टिय केंद्रीय कर	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	ूर्व वित्तीय व एकीकृत कर	वर्ष के ति
गग-IV 10	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प् संव्य वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योग)	र्वृत्तर हो, र् वहारों की वारों की	विवरणियों विशिष्टिय केंद्रीय कर	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	ूर्व वित्तीय व एकीकृत कर	वर्ष के ति
10	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर कं जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प् संव्य वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिसोम	र्वृत्तर हो, र् वहारों की वारों की	विवरणियों विशिष्टिय केंद्रीय कर	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	ूर्व वित्तीय व एकीकृत कर	वर्ष के ति
	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प् संव्य वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योम) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदास (+)	र्वृत्तर हो, र् वहारों की वारों की	विवरणियों विशिष्टिय केंद्रीय कर	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	ूर्व वित्तीय व एकीकृत कर	वर्ष के ति
10	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर कं जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प् संव्य वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिबोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+)	र्वृत्तर हो, र् वहारों की वारों की	विवरणियों विशिष्टिय केंद्रीय कर	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	ूर्व वित्तीय व एकीकृत कर	वर्ष के ति
10	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर कं जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प् संव्य वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौतीं किए गए	पूर्वत्तर हो, f वहारों की आवर्त 2	विवरणियों विशिष्टिय केंद्रीय कर	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	ूर्व वित्तीय व एकीकृत कर	वर्ष के ति
10	वालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प्रसंव्य वर्णन वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योम) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पर्वों का योग)	पूर्वत्तर हो, f वहारों की आवर्त 2	विवरणियों विशिष्टिय केंद्रीय कर	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	ूर्व वित्तीय व एकीकृत कर	वर्ष के ति
10 11 12	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर कं जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प्रसंव्य वर्णन वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योम) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पर्वों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए	पूर्वत्तर हो, f वहारों की आवर्त 2	विवरणियों विशिष्टिय केंद्रीय कर	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	ूर्व वित्तीय व एकीकृत कर	वर्ष के ति
10	वालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की जाने की तारीख तक इनमें से जो भी ए संव्य वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योम) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पर्वों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पर्वों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय	पूर्वत्तर हो, f वहारों की आवर्त 2	विवरणियों विशिष्टिय केंद्रीय कर	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	ूर्व वित्तीय व एकीकृत कर	वर्ष के ति
10 11 12	वालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प्रसंव्य वर्णन वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिनोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पर्जों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रतिनोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (-) (जमा पर्जों का योग)	पूर्वत्तर हो, f वहारों की आवर्त 2	विवरिणयों विशिष्टिय केंद्रीय कर 3	में घोषित पृ राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर 4	प्रकीकृत कर 5	वर्ष के ति
10 11 12	वालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की जाने की तारीख तक इनमें से जो भी प्रसंव्य वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योम) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग) प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (-) (जमा पत्रों का योग) उपरोक्त 10, 11,12 और 13 में व	पूर्वत्तर हो, f वहारों की आवर्त 2	विवरिणयों विशिष्टिय कंद्रीय कर 3	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर 4	प्कीकृत कर 5	वर्ष के ति उपकर 6
10 11 12 13	वालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर कं जाने की तारीख तक इनमें से जो भी ए संव्य वर्णन वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (-) (जमा पत्रों का योग) उपरोक्त 10, 11,12 और 13 में व वर्णन	पूर्वत्तर हो, f वहारों की आवर्त 2	विवरिणयों विशिष्टिय कंद्रीय कर 3	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर 4	पूर्व वित्तीय प्र एकीकृत कर 5	वर्ष के हि उपकर 6
10 11 12 13	वालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर कं जाने की तारीख तक इनमें से जो भी ए संव्य वर्णन वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योम) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रताय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग) उपरोक्त 10, 11,12 और 13 में व वर्णन	पूर्वत्तर हो, f वहारों की आवर्त 2	विवरिणयों विशिष्टिय कंद्रीय कर 3	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर 4	पूर्व वित्तीय प्र एकीकृत कर 5	वर्ष के ति उपकर 6
10 11 12 13	वालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की जाने की तारीख तक इनमें से जो भी ए संव्य वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योम) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रताय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग) उपरोक्त प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (-) (जमा पत्रों का योग) उपरोक्त 10, 11,12 और 13 में व वर्णन 1 एकीकृत कर	पूर्वत्तर हो, f वहारों की आवर्त 2	विवरिणयों विशिष्टिय कंद्रीय कर 3	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर 4	पूर्व वित्तीय प्र एकीकृत कर 5	वर्ष के हि उपकर 6
10 11 12 13	वालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर कं जाने की तारीख तक इनमें से जो भी ए संव्य वर्णन वर्णन 1 संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योम) संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रताय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग) उपरोक्त 10, 11,12 और 13 में व वर्णन	पूर्वत्तर हो, f वहारों की आवर्त 2	विवरिणयों विशिष्टिय कंद्रीय कर 3	में घोषित पृ ं राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर 4	पूर्व वित्तीय प्र एकीकृत कर 5	वर्ष के हि उपकर 6

		3 ५ क	₹					
		હ્યાંહ	r i	Kulo II.				
भाग-V		* (Classer)	3	न्य जानका	 री		,	
15			मांग और प्र	तिदायों की	विशिष्टि	यां		
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/अन्य
	1.	2	3	4	5	6	7	. 8
ক	दावा किया गया कुल प्रतिदाय							
ख	स्वीकृत कुल प्रतिदाय					·		
ग	अस्वीकृत कुल प्रतिदाय						·	
घ	लंबित कुल प्रतिदाय							
ਤ.	करों की कुल मांग							
ਚ	उपरोक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपरोक्त ड. के कारण लंबित कुल मांग							
16			उलटा गया	उपभक्त प्रव	ाय के ब	ग्रीरे	-	
	वर्णन			•	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर
		1			2	3	4	5
क	संरचना स्कीम में	<u> </u>		il.				
ख	संरचना स्कीम		कल्प लेने पर उ +)					
17		-	संदेय और		ांब फीस			
L		वर्णन	. .	1		iदे य	संव	त ।
		1				2	3	3 .
क	-	केंद्रीय व	and the second second second second		,			
ख		राज्य क						

सत्यापन:

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें उपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है और आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में, उसका फायदा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को संक्रान्त कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

स्थान :

हस्तारक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख:

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :---

- 1. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की समयावधि के ब्यौरे इस विवरणी में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- 2. भाग । में करदाता के आधारिक ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग । को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
5	पूर्व वितीय वर्ष के लिए कुल आवर्त उस वर्ष के, जिसके लिए विवरणी फाइल की जा रही है, पूर्व वितीय वर्ष का आवर्त है। उदाहरण के लिए वितीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी हेत्
	वितीय वर्ष 2016-17 के कुल आवर्त को इस सारणी में प्रविष्ट किया जाएगा। यह उसी स्थायी
	लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत सभी करदाताओं का आवर्त है।

3. भाग ॥ में उस वितीय वर्ष, जिसके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है, में सभी जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे हैं। भाग ॥ को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
	SI-JUL
6क	सभी जावक प्रदायों का कुल मूल्य, कुल नामे नोटों/जमा पत्रों का योग, संपूर्ण वितीय वर्ष के
	लिए अग्रिमों का योग और वापस किए गए माल का योग यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों
	को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 6 और सारणी 7 का उपयोग किया जा सकेगा।
6ख	छूट प्राप्त, शून्य दर और गैर-माल और सेवाकर प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
7क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रतिलोम प्रभार
	आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4
	की सारणी 4ख, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा।
7ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों (सेवाओं के आयात से भिन्न) का कुल
	मूल्य, उलटे गए प्रभार के आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के
	लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ग, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा
	सकेगा।
7ग	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई सभी सेवाओं का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
	इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4घ और सारणी 5 का उपयोग
	किया जा सकेगा।
8क	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रदायकर्ता
•	द्वारा संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की
	सारणी 4क और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा।
8ख	वितीय वर्ष के दौरान आयात किए गए सभी माल का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
	1 राज्य का राज्य कार कर राज्य कार मन नुस्त गृहन नहीं नामत भिन्न जिल्ला।

4. भाग IV में चालू वितीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर में या पूर्व वितीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण फाईल करने की तारीख (उदाहरण के लिए वितीय वर्ष 2017-2018 के वार्षिक विवरणी में वितीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर में घोषित संव्यवहारों को घोषित किया जाएगा)। इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कि विवरणी में पूर्व वितीय वर्ष के प्रदायों के लिए किए गए संशोधनों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग V को भरने के लिए अनुदेश निम्नानसार हैं:

सारणी सं0	अनुदेश
	ऐसे किन्ही प्रदायों के परिवर्धनों या संशोधनों के ब्यौरे, जिन्हें पूर्व वितीय वर्ष की विवरणियों में
13 और 14	पहले घोषित किया गया था किन्तु ऐसे संशोधनों, चालू वितीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर या पूर्व
	वितीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के
	प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 5 (आवक प्रदायों से संबंधित) या सारणी-7 (जावक प्रदायों से संबंधित) में दिए गए थे, यहां प्रस्तुत किए जाएंगे।

5. भाग V में अन्य जानकारी के ब्यौरे हैं। भाग 5 को भरने के लिए अनदेश निम्नानसार हैं :

	न जान व जान करा के जार है। जान उ का नरें के लिए जानुद्रा निन्नानुसार है.
सारणी सं0	अनुदेश
15क, 15ख,	प्रसंस्करण के लिए दावाकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित प्रतिदायों का कुल मूल्य यहां घोषित
15ग और	किया जाएगा। दावाकृत प्रदाय वितीय वर्ष में फाइल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का कुल मूल्य
15घ	होगा और इसमें ऐसे प्रतिदाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्रसंस्करण के लिए स्वीकृत, अस्वीकृत
	किया गया है या लंबित हैं। स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का कुल मूल्य
	अभिप्रेत है। लंबित प्रतिदाय ऐसे सभी प्रतिदाय आवेदनों में कुल रकम होगी, जिनके लिए
	अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इसमें प्राप्त किया गया अनंतिम प्रतिदाय नहीं होगा।
	इनमें गैर-माल और सेवाकर प्रतिदाय दावों के ब्यौरे सम्मिलित नहीं होंगे।
15ਵ., 15ਚ	
और 15छ	करने वाला आदेश जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा। उपरोक्त 15ड में पुष्ट की
	गई मांगों के कुल मूल्य में से संदत्त करों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
16क	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के अधीन कर देने का चयन करता है तो उलटे गए सभी
	प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप आईटीसी-03 में दिए गए ब्यौरों का
	उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
16ख	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के बाह्य कर देने का चयन करता है तो उपभोग किए सभी
	प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप आईटीसी-01 में दिए गए ब्यौरों का
	उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
17	विलंब शुल्क देय होगा, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है।

11. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी के ईडब्ल्यूबी-01 के टिप्पणों में क्रम संख्या 7 के नीचे सारणी के पहले स्तंभ में कोड-4 के सामने दूसरे स्तंभ में "एस.के.डी." या "सी.के.डी." अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "एस.के.डी. या सी.के.डी. या बैचों या लॉटों में आप्रदाय " अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिस्चना 04 सितम्बर, 2018 से प्रवृत हुई मानी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्र. एफ-ए-3-29-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-29-2018-पांच (79), दिनांक 20 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 20th September 2018

No. F A 3-29/2018/1/V (79) In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

AMENDMENTS

Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 22, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided that where the person instead of replying to the notice served under sub-rule (1) for contravention of the provisions contained in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29, furnishes all the pending returns and makes full payment of the tax dues along with applicable interest and late fee, the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in **FORM GST-REG 20**."
- 3. In the said rules, in rule 36, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that if the said document does not contain all the specified particulars but contains the details of the amount of tax charged, description of goods or services, total value of supply of goods or services or both, GSTIN of the supplier and recipient and place of supply in case of inter-State supply, input tax credit may be availed by such registered person."

- 4. In the said rules, in rule 55, in sub-rule (5), after the words "completely knocked down condition", the words "or in batches or lots" shall be inserted.
- 5. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (4), for clause (E), the following clause shall be substituted, namely:-
 - (E) "Adjusted Total Turnover" means the sum total of the value of-
 - (a) the turnover in a State or a Union territory, as defined under clause (112) of section 2, excluding the turnover of services; and

(b) the turnover of zero-rated supply of services determined in terms of clause (D) above and non-zero-rated supply of services,

excluding-

- (i) the value of exempt supplies other than zero-rated supplies; and
- (ii) the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rule (4A) or sub-rule (4B) or both, if any,

during the relevant period.'.

- 6. In the said rules, with effect from the 23rd October, 2017, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have -
 - (a) received supplies on which the benefit of the this department Notification No. F-A 3-74-2017-1-V(137)- dt. 18-10-2017 or notification No. F A-3-76/2017/1/V(139)- dated 23.10.2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or
 - (b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299 (E), dated the 13th October, 2017."
- 7. In the said rules, in rule 138A, in sub-rule (1), after the proviso the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided further that in case of imported goods, the person in charge of a conveyance shall also carry a copy of the bill of entry filed by the importer of such goods and shall indicate the number and date of the bill of entry in Part A of FORM GST EWB-01."
- 8. In the said rules, for FORM GST REG-20, the following FORM shall be substituted, namely:-

"FORM GST REG-20

[See rule 22(4)]

Reference No. -

Date -

To

Name Address GSTIN/UIN

Show Cause Notice No.

Date-

Order for dropping the proceedings for cancellation of registration

This has reference to your reply filed vide ARN ----- dated ---- in response to the show cause notice referred to above. Upon consideration of your reply and/or submissions made during hearing, the proceedings initiated for cancellation of registration stands vacated for the following reasons:

text

or

The above referred show cause notice was issued for contravention of the provisions of clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Madhya Pradesh Goods Services Tax Act, 2017. As you have filed all the pending returns which were due on the date of issue of the aforesaid notice, and have made full payment of tax along with applicable interest and late fee, the proceedings initiated for cancellation of registration are hereby dropped.

Signature
Name of the Officer

Designation Jurisdiction

Place:

Date:

9. In the said rules, for **FORM GST ITC-04**, the following FORM shall be substituted, namely:-

"FORM GST ITC-04

[See rule 45(3)]

Details of goods/capital goods sent to job worker and received back

- 1. GSTIN-
- 2. (a) Legal name -
 - (b) Trade name, if any -
- 3. Period:

Quarter -

Year -

4. Details of inputs/capital goods sent for job work (includes inputs/capital goods directly sent to place of business /premises of job worker)

GSTIN				UQ	Quantit	Taxabl	Type of	R	late of	tax (%)	
/ State in case of unregister ed job worker	n No.	n date	on of goods	C	у	value	goods (Inputs/capit al goods)	Centr al tax	Stat e/ UT tax	Integrat ed tax	Ces s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5. Details of inputs/capital goods received back from job worker or sent out from business place of job work

(A) Details of inputs/ capital goods received back from job worker to whom such goods were sent for job work; and losses and wastes:

GSTIN /	Challa	Date	Descripti	UQ	Quanti	Origin	Origin	Natur	Losse	es &
State of	n No.	of	on of	C	ty	al	al	e of	waste	es
job	issued	challa	goods			challa	challa	job		
worker if	by job	n	1			n No.	n date	work	UQ	Quanti
unregister	worke	issued		ļ		under	under	done	C	ty
ed	r ·	by job	*			which	which	by		
	under	worke				goods	goods	job		
	which	r			·	have	have	work		
	goods	under				been	been	er		[
	have	which				sent	sent			ļ
*	been	goods			•	for job	for job			
	receiv	have				work	work			
	ed	been								
	back	receiv			·					
		ed								
		back			J					
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11
										

(B) Details of inputs / capital goods received back from job worker other than the job worker to whom such goods were originally sent for job work; and losses and wastes:

GSTIN /	Challa	Date	Descripti	UQ	Quanti	Origin	Origin	Natur	Loss	es &
State of	n No.	of	on of	C	ty	al	al	e of	waste	es
job	issued	challa	goods			challa	challa	job		
worker if	by job	n			1	n No.	n date	work	UQ	Quanti
unregister	worke	issued				under	under	done	C	ty
ed	r	by job				which	which	by		'
	under	worke				goods	goods	job		
·	which	r				have	have	work		
	goods	under				been	been	er		
	have	which				sent	sent	·		
	been	goods				for job	for job			
	receiv	have	·			work	work			
	ed	been								
	back	receiv								
		ed								
		back								
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(C) Details of inputs/ Capital goods sent to job worker and subsequently supplied from premises of job worker; and losses and wastes:

GSTIN /	Invoic	Invoic	Descripti	UQ	Quanti	Origin	Origin	Natur	Losse	es &
State of	e No.	e date	on of	C	ty	al	al	e of	waste	es
job	in case	in case	goods			challa	challa	job		
worker if	supplie	supplie				n no.	n date	work	110	Ouanti
unregister	d from	d from				under	under	done	UQ	Quanti
ed	premis	premis				which	which	by	С	ty
	es of	es of			j	goods	goods	job		
	job	job				have	have	work		
	worker	worker			-	been	been	er		
	issued	issued				sent	sent			
	by the	by the				for job	for job			
	Princip	Princip		٠	}	work	work			
	al	al								
1	2	3	4	5	6	7*	8*	9	10	11
						-				

Instructions:

- 1. Multiple entry of items for single challan may be filled.
- 2. Columns (2) & (3) in Table (A) and Table (B) are mandatory in cases where fresh challan are required to be issued by the job worker. Otherwise, columns (2) & (3) in Table (A) and Table (B) are optional.
- 3. Columns (7) & (8) in Table (A), Table (B) and Table (C) may not be filled where one-to-one correspondence between goods sent for job work and goods received back after job work is not possible.

6. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

	Signature
Place	Name of
Authorised Signatory	·
Date	Designation
Status	g

10. In the said rules, after **FORM GSTR-8**, the following FORMS shall be inserted, namely:-

"FORM GSTR-9 (See rule 80) Annual Return

Pt. I

Basic Details

- 1 Financial Year
- 2 GSTIN

3A	Legal Name	Maria Sala		<u> </u>	11477		
3B	Trade Name (if any)	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100					
Pt. II	Details of Ou	tward and in	ward supplies de			finacial yea n ₹ in all tab	
,	Nature of Supp	olies	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1		2.	3	4	5	6
4	Details of advances,		outward supplies filed during the f			ayable as d	eclared in
A	Supplies made to un-reg persons (B2C)	istered					
В	Supplies made to registe (B2B)	red persons	,				
С	Zero rated supply (Expo payment of tax (except s SEZs)	supplies to					
D.	Supply to SEZs on payn	nent of tax					
E	Deemed Exports						
F	Advances on which tax I paid but invoice has not (not covered under (A) to	been issued					
G	Inward supplies on whic paid on reverse charge b						
Н	Sub-total (A to G above)			244.00			
I	Credit Notes issued in re transactions specified in above (-)						
J	Debit Notes issued in restransactions specified in above (+)	(B) to (E)					
K	Supplies / tax declared t Amendments (+)	1,1					
L	Supplies / tax reduced the Amendments (-)	rough					
M	Sub-total (I to L above)						
N	Supplies and advances or is to be paid (H + M) about	ve 📰 💮					• • • • •
	Details of outward sup the financial year	plies on whi	ch tax is not pay	able as d	eclared in	returns fil	led during
A	Zero rated supply (Expor payment of tax	t) without					
В	Supply to SEZs without p	payment of					
С	Supplies on which tax is by the recipient on revers basis						
D	Exempted						
Е	Nil Rated						
F	Non-GST supply	74 184					
G	Sub-total (A to F above)	Q id					

Н	Credit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (-)					
I	Debit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (+)					
J	Supplies declared through Amendments (+)					
K	Supplies reduced through Amendments (-)					·
L	Sub-Total (H to K above)		44.7.2a	44		
M	Turnover on which tax is not to be paid (G + L above)					
N	Total Turnover (including advances) (4N + 5M - 4G above)					
	Detalis of ITC as decl	ared in returns fil	led durir	ng the fi	nancial vea	ar
Pt. III	Description	[Type	Central	State	Integrated	Cess
			Tax	Tax /	Tax	
				UT Tax		
	1 .	2	3	4	5	6
6	Details of ITC availed as	declared in return	s filed d	luring th	e financial	year
A	Total amount of input tax credit avai					
	GSTR-3B (sum total of Table 4A of Inward supplies (other than imports	FORM GSTR-3B) Inputs	Auto	Auto	Auto	Auto
	and inward supplies liable to reverse	Capital Goods	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
В	charge but includes services received	767.5				
4.	from SEZs)	Input Services	·			
	Inward supplies received from	Inputs	• "			
C	unregistered persons liable to reverse charge (other than B above) on	Capital Goods	·			
	which tax is paid & ITC availed	Input Services				
	Inward supplies received from	Inputs				
D	registered persons liable to reverse	Capital Goods				
D	charge (other than B above) on which tax is paid and ITC availed	Input Services				
E ·	Import of goods (including supplies from SEZs)	inputs *				
F	Import of services (excluding inward SEZs)	Capital Goods supplies from				
G						
Н	Input Tax credit received from ISD Amount of ITC reclaimed (other than provisions of the Act	B above under the				
I	Sub-total (B to H above)				(%) <u>%</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
J	Difference (I - A above)					
	Transition Credit through TRAN-I (in	hiding revisions if	1,353,153,243	eyyerr At 1990ig 3	(40 s - 5°).	
K	any)		ĺ			
L	Transition Credit through TRAN-II.					
M	Any other ITC availed but not specific	(alexandra)				
N	Sub-total (K to M above)					
0	Total ITC availed (I + N above)	NATIONAL STRUCTURE AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF TH				
7	Details of ITC Reversed and Inelig	ible ITC as declare	d in retur	ns filed d	luring the fir	nancial ye
Α	As per Rule 37					
В	As per Rule 39					
С	As per Rule 42					
	C7: \$78909	TO CARLON DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	l l			I

D	As per Rule 43	V A		9	1	1	1
E	As per section 17(5)	1 11			 	<u> </u>	
F	Reversal of TRAN-I of	redit			 		
G	Reversal of TRAN-II	124		3			
	Other reversals (pl. sp				 		
H	Total ITC Reversed (A	293			ļ	 	
I	Net ITC Available for	2071 47872		-	 		
J	T TOTAL TOTAL AND TOTAL	23-6644	r ITC related inf	il ormation	1	1	l
8	II C as per GSIK-ZA				,	1	1
A	ITC as per sum total o		73.00	1	Auto	Auto	Auto
В	ITC as per sum total of	10 mg	別を利益(300年)を開発(300年)が、うっちつか	Auto	 		
c	supplies liable to rever received from SEZs) r during April to Septen	rse charge but in eccived during	icludes services 2017-18 but availed				
D	Difference [A-(B+C)]	1 7					
E	ITC available but not a	availed (out of I))		<u> </u>		
F	ITC available but ineli	772.0 138.07.7 E	CONTRACTOR CONTRACTOR STATES				
G-	IGST paid on import of SEZ)	of goods (includ	ing supplies from				
Н	IGST credit availed on above)	import of good	is (as per 6(E)	Auto			
I	Difference (G-H)	Ni.	14.				
J	ITC available but not a to I)		10.00				·
K	Total ITC to be lapsed (E + F + J)		AND THE	Auto	Auto	Auto	Auto
Pt. IV		7	eclared in returns	filed du	iring the	financiai y	ear
	Description	Tax Payable	Paid through cash		Paid t	hrough ITC	
			·	Central	State	Integrated	Cess
1 1				Tax	Tax/	Tax	
9					Tax		
	1	2	3	4	5	6	7
	Integrated Tax						
	Central Tax						
	State/UT Tax						
	Cess						
	Interest						
	Late fee						
	Penalty						
	Other						

Pt. Particulars of the transactions for the previos FY declared in returns of April to September V of current FY upto date of filing of annual return of previous FY whichever is earlier

	Description	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3	4	5	6
10	Supplies / tax declared through Amendments (+) (net of debit notes)					
11	Supplies / tax reduced through Amendments (-) (net of credit notes)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

12				\$		-		
13			vious					
14	, karawa i	Differ	rential tax paid	d on account of dec	claration:	in 10 & 1	l above	
			Description		Payable		Paid	
ļ 			<u> </u>			2		3
	State/UT Ta	ax						
	Cess							
	Interest							
Pt. VI								
15			Partic	ulars of Demands a	and Refui	nds		
	Details	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	Interest	Penalty	Late Fee / Others
	1	2	3	4	5			
	11 TC availed for the previous financial year 12 Differential tax paid on account of declaration in 10 & 11 above Description							
A	1							
						efunds ss Interest Pena rs, deemed supply unbasis ral State Tax / UT Tax 4 5		
В		-	•					
	~				 			
С						Payable 2 Refunds Cess Interest Periods Vers, deemed supply 1 basis Intral State Tax / UT Tax Tax 3 4		
	Rejected	Other Information Particulars of Demands and Refunds Central State Tax / Integrated Tax Cess Interest Per						
_	1							
D								
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
E)							}
					ļ	<u> </u>		
						1		}
\mathbf{F}_{\perp}	in respect							
						Ì		
<u> </u>								
*	demands							
G ·								·
16		on supplie					ipply under	section 143
		Details					Integrated	Cess
		•			Tax	UT		
	-	1		2	3		5	6
A		iye d jiron:	nese (-	
		dy under S			1 3 A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A		9817	and the state of t
C	22 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	The state of the s	以已经经验 在 位成					
17	187	Addition to the second	HSN Wise S	ummary of outwa	rd supplie	i. i	:1	

HSN	UQC	Total	Taxable	Rate of Tax	Central	State	Integrated	Cess
Code		Quantity	Value		Tax	Tax /	Tax	
			:	,	i	UT		
				·		Tax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	_		HSN W	/ise Summary of Inv	vard suppli	es		
HSN	UQC	Total	Taxable	Rate of Tax	Central	State	Integrated	
Code		Quantity	Value		Tax	Tax /	Tax	Cana
		` '	,			UT]	Cess
						Tax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	·	
				Late fee payable and	paid			
			Description		Paya	able	Pai	d
			1		2	2] . 3	
Α	Central Tax							
В	State Tax	,						

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place Signatory Signature Name of Authorised

Date

Designation / Status

Instructions: -

1. Terms used:

a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number

b. UQC: Unit Quantity Code

c. HSN: Harmonized System of Nomenclature Code

2. The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this return.

3. Part II consists of the details of all outward supplies & advances received during the financial year for which the annual return is filed. The details filled in Part II is a consolidation of all the supplies declared by the taxpayer in the returns filed during the financial year. The instructions to fill Part II are as follows:

Table No.	Instructions
	Instructions
4A.	Aggregate value of supplies made to consumers and unregistered persons on
	which tax has been paid shall be declared here. These will include details of
	supplies made through E-Commerce operators and are to be declared as net of
	credit notes or debit notes issued in this regard. Table 5, Table 7 along with
	respective amendments in Table 9 and Table 10 of FORM GSTR-1 may be
	used for filling up these details.
4B	Aggregate value of supplies made to registered persons (including supplies
	made to UINs) on which tax has been paid shall be declared here. These will
	include supplies made through E-Commerce operators but shall not include
14	supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis.
	Details of debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4A and
	Table 4C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4C	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which tax has been
	paid shall be declared here. Table 6A of FORM GSTR-1 may be used for
	filling up these details.
4D	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has been paid shall be
	declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for filling up these details.
4E	Aggregate value of supplies in the nature of deemed exports on which tax has
	been paid shall be declared here. Table 6C of FORM GSTR-1 may be used for
	filling up these details.
4F	Details of all unadjusted advances i.e. advance has been received and tax has
	been paid but invoice has not been issued in the current year shall be declared
	here. Table 11A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4G	Aggregate value of all inward supplies (including advances and net of credit
	and debit notes) on which tax is to be paid by the recipient (i.e.by the person
	filing the annual return) on reverse charge basis. This shall include supplies
	received from registered persons, unregistered persons on which tax is levied
	on reverse charge basis. This shall also include aggregate value of all import
	of services. Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these
	details.
4I	Aggregate value of credit notes issued in respect of B to B supplies (4B),
	exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E) shall be
L	The second control of

	declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4J	Aggregate value of debit notes issued in respect of B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E) shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4K & 4L	Details of amendments made to B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E), credit notes (4I), debit notes (4J) and refund vouchers shall be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5A	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which tax has not been paid shall be declared here. Table 6A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5B	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has not been paid shall be declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for filling up these details.
5C	Aggregate value of supplies made to registered persons on which tax is payable by the recipient on reverse charge basis. Details of debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5D,5E and 5F	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies shall be declared here. Table 8 of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5H	Aggregate value of credit notes issued in respect of supplies declared in 5A,5B,5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5I	Aggregate value of debit notes issued in respect of supplies declared in 5A,5B,5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5J & 5K	Details of amendments made to exports (except supplies to SEZs) and supplies to SEZs on which tax has not been paid shall be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5N	Total turnover including the sum of all the supplies (with additional supplies and amendments) on which tax is payable and tax is not payable shall be declared here. This shall also include amount of advances on which tax is paid but invoices have not been issued in the current year. However, this shall not include the aggregate value of inward supplies on which tax is paid by the recipient (i.e. by the person filing the annual return) on reverse charge basis.

4. Part III consists of the details of all input tax credit availed and reversed in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part III are as follows:

Table No.	Instructions
6A	Total input tax credit availed in Table 4A of FORM GSTR-3B for the taxpayer would be auto-populated here.
6B	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs shall be declared here. It may be noted that the total ITC

		availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(5) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. This shall not include ITC which was availed, reversed and then reclaimed in the ITC ledger. This is to be declared separately under 6(H) below.
6C		Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies received from unregistered persons (other than import of services) on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6D		Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies received from registered persons on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6E		Details of input tax credit availed on import of goods including supply of goods received from SEZs shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs and capital goods. Table 4(A)(1) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6F		Details of input tax credit availed on import of services (excluding inward supplies from SEZs) shall be declared here. Table 4(A)(2) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6G		Aggregate value of input tax credit received from input service distributor shall be declared here. Table 4(A)(4) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6H		Aggregate value of input tax credit availed, reversed and reclaimed under the provisions of the Act shall be declared here.
6J		The difference between the total amount of input tax credit availed through FORM GSTR-3B and input tax credit declared in row B to H shall be declared here. Ideally, this amount should be zero.
6K		Details of transition credit received in the electronic credit ledger on filing of FORM GST TRAN-I including revision of TRAN-I (whether upwards or downwards), if any shall be declared here.
6L		Details of transition credit received in the electronic credit ledger after filing of FORM GST TRAN-II shall be declared here.
6M		Details of ITC availed but not covered in any of heads specified under 6B to 6L above shall be declared here. Details of ITC availed through FORM ITC-01 and FORM ITC-02 in the financial year shall be declared here.
7A,	7B,	Details of input tax credit reversed due to ineligibility or reversals required
7C,	7D,	under rule 37, 39,42 and 43 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax
7E,	7F,	Rules, 2017 shall be declared here. This column should also contain details of
7G	and	any input tax credit reversed under section 17(5) of the Madhya Pradesh
7H		Goods and Services Tax Act, 2017 and details of ineligible transition credit claimed under FORM GST TRAN-I or FORM GST TRAN-II and then
		subsequently reversed. Table 4(B) of FORM GST TRAN-II and then subsequently reversed. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. Any ITC reversed through FORM ITC -03 shall be declared in 7H.
8A		The total credit available for inwards supplies (other than imports and inwards
		Tr (india importo dile invalte

·	supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) received during 2017-18 and reflected in FORM GSTR-2A (table 3 & 5 only) shall be auto-populated in this table. This would be the aggregate of all the input tax credit that has been declared by the corresponding suppliers in their FORM GSTR-I.
8B	The input tax credit as declared in Table 6B and 6H shall be auto-populated here.
8C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies (except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs) received during July 2017 to March 2018 but credit on which was availed between April to September 2018 shall be declared here. Table 4(A)(5) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
8E & 8F	Aggregate value of the input tax credit which was available in FORM GSTR-2A (table 3 & 5 only) but not availed in any of the FORM GSTR-3B returns shall be declared here. The credit shall be classified as credit which was available and not availed or the credit was not availed as the same was ineligible. The sum total of both the rows should be equal to difference in 8D.
8G	Aggregate value of IGST paid at the time of imports (including imports from SEZs) during the financial year shall be declared here.
8H	The input tax credit as declared in Table 6E shall be auto-populated here.
8K	The total input tax credit which shall lapse for the current financial year shall be computed in this row.

- 5. Part IV is the actual tax paid during the financial year. Payment of tax under Table 6.1 of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
- 6. Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but declared in the returns of April to September of current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions						
10 & 11	Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in						
	the returns of the previous financial year but such amendments were furnished						
	in Table 9A, Table 9B and Table 9C of FORM GSTR-1 of April to September						
	of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous						
	financial year, whichever is earlier shall be declared here.						
12	Aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous						
	financial year but reversed in returns filed for the months of April to						
	September of the current financial year or date of filing of Annual Return for						
	previous financial year, whichever is earlier shall be declared here. Table						
	4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.						
13	Details of ITC for goods or services received in the previous financial year but						
	ITC for the same was availed in returns filed for the months of April to						
	September of the current financial year or date of filing of Annual Return for						
	the previous financial year whichever is earlier shall be declared here. Table						
	4(A) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.						

7. Part VI consists of details of other information. The instructions to fill Part VI are as follows:

Table No.	Instructions
	Instructions
15A,	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and pending for
15B,	processing shall be declared here. Refund claimed will be the aggregate value
15°C and	John Will Michael Politics
15D	which have been sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund
	sanctioned means the aggregate value of all refund sanction orders. Refund
	pending will be the aggregate amount in all refund application for which
	acknowledgement has been received and will exclude provisional refunds
	received. These will not include details of non-GST refund claims.
15E, 15F	Aggregate value of demands of taxes for which an order confirming the
and 15G	demand has been issued by the adjudicating authority shall be declared here.
	Aggregate value of taxes paid out of the total value of confirmed demand as
	declared in 15E above shall be declared here. Aggregate value of demands
	pending recovery out of 15E above shall be declared here.
16A	Aggregate value of supplies received from composition taxpayers shall be
	declared here. Table 5 of FORM GSTR-3B may be used for filling up these
	details.
16B	Aggregate value of all deemed supplies from the principal to the job-worker in
	terms of sub-section (3) and sub-section (4) of Section 143 of the Madhya
	Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 shall be declared here.
16C	Aggregate value of all deemed supplies for goods which were sent on
	approval basis but were not returned to the principal supplier within one
	eighty days of such supply shall be declared here.
17 & 18	Summary of supplies effected and received against a particular HSN code to
	be reported only in this table. It will be optional for taxpayers having annual
	turnover upto ₹ 1.50 Cr. It will be mandatory to report HSN code at two digits
	level for taxpayers having annual turnover in the preceding year above ₹ 1.50
	Cr but upto ₹ 5.00 Cr and at four digits' level for taxpayers having annual
1	turnover above ₹ 5.00 Cr. UQC details to be furnished only for supply of
	goods. Quantity is to be reported net of returns. Table 12 of FORM GSTR-
	1 may be used for filling up details in Table 17.
19	Late fee will be payable if annual return is filed after the due date.

FORM GSTR-9A

(See rule 80)

Annual Return (For Composition Taxpayer)

Pt. 1			Basic	Details	, <u>,</u> ,			
1	Financial Year				7.00 Sec. 10.00 5.00 Sec. 10.00			
2	GSTIN							
3A	Legal Name	Auto					i	
3В	Trade Name (if any)	Auto						
	Period of composition se	cheme during t	he year					
4	(From To)		30 A					
5	Aggregate Turnover of I	Previous Finan	cial Year					
মানুহ কামিলিক হ'ব						Amount in ₹ i		
Pt. II	Details of outward ar	nd inward sup	plies declar	ed in retu			al year	
	Description	Turnover	Rate of Tax	Central Tax	State / UT Tax	Integrated tax	Cess	
	1	2	3	4	5	6	7	
6	Details of outward s	upplies on w	hich tax is p financi		declared in re	eturns filed d	luring the	
A	Taxable							
В	Exempted, Nil-rated			•				
C	Total							
7	Details of inward supplies on which tax in payable on reverse charge basis (net of debit/							
'	credit notes) declared in returns filed during the financial year							
	Description	Taxable Value	Central	Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	
	1	2	3		4	5	6	
A	Inward supplies liable to reverse charge received from registered persons		·					
В	Inward supplies liable to reverse charge received from unregistered persons							
С	Import of services							
D	Net Tax Payable on (A), (B) and (C) above							
8	Details of oth	ner supplies a	s declared in	n returns	' filed during th	ne financial v	ear ear	
A	Inward supplies from registered persons (other than 7A above)	oappou						

Pt. III	Details of tax paid as declared in returns filed during the financialy year
1 45 May 1 15 Common 1	- 10.45. 20.29 (4.1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Import of Goods

Diss	iiPliou =		
Integrated Tax			
Central Tax			
State/UT Tax		 	
Cess		 	
Interest			
Late fee	23		
Penalty			t in the second

	D	- f -1						
Pt. I	V Particulars	FY or upt	o date of filing	e previous FY of annual rete	declared in Irn of previ	returns of Aprilous FY which	il to Septembe ever is carlier	er of curren
		Description	on	Turnover	Central Tax		Integrated Tax	Cess
		1		2	3	4	5	6
10	Supplies / ta through Am debit notes)	x (outward endments () declared +) (net of	78 78				
11	Inward supp charge decla Amendment	red throug	o reverse h f debit notes),					
12	Supplies / ta through	x (outward	reduced credit notes)					
13	Inward supp	lies liable ted through	o reverse	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
14	Commence of the contract of th	And the property of the second	TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O	ount of dec	laration i	⊥ made in 10, 1	1 1, 12 & 13	abvoe
			cription		T	ayable	Pa	
			1			2		}
	Integrated Ta	1X						
	Central Tax	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	State/UT Tax	<u> </u>				•		
	Cess	<u> </u>		918				
	Interest			Are dis				
Pt. V				ther Information				
15				of Demand	s and Ref	unds		•
	Description	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	Interest	Penalty	Late Fee
			OTTAX	ıax				/ Others
-	1	2	3	4	5	6	7 ,	8
A	Total Refund claimed							
В	Total Refund sanctioned							
С	Total Refund Rejected		· ·					
D	Total Refund Pending							
Е	Total demand of taxes							The war of the second s
F	Total taxes paid in respect of E above							
		j		1	1	, i	ŧ	

16	Details of credit reversed or availed						
	Description	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess		
	1		3	4	5		
A	Credit reversed on opting in the composition scheme (-)						
В	Credit availed on opting out of the composition scheme (+)						
17	Late fee paya	•					
- · ·	Description	Pa	ayable	Paid	!		
	1		2	3			
A	Central Tax						
В	State Tax	•					

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place		Signature
Date	Na	me of Authorised Signatory
		Designation / Status

Instructions: -

- 1. The details for the period between July 2017 to March 2018 shall be provided in this return.
- 2. Part I consists of basic details of taxpayer. The instructions to fill Part I are as follows:

Table No.	Instructions
5	Aggregate turnover for the previous financial year is the turnover of the financial year previous to the year for which the return is being filed. For example for the annual return for FY 2017-18, the aggregate turnover of FY
	2016-17 shall be entered into this table. It is the sum total of turnover of all taxpayers registered on the same PAN.

3. Part II consists of the details of all outward and inward supplies in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part II are as follows:

Table No.	Instructions
6A	Aggregate value of all outward supplies net of debit notes / credit notes, net of
	advances and net of goods returned for the entire financial year shall be
	declared here. Table 6 and Table 7 of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
6B	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies shall be declared here.
7A	Aggregate value of all inward supplies received from registered persons on
	which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. Table 4B,
	Table 5 and Table 8A of FORM GSTR-4 may be used for filling up these
	details.
7B	Aggregate value of all inward supplies received from unregistered persons
	(other than import of services) on which tax is payable on reverse charge basis
	shall be declared here. Table 4C, Table 5 and Table 8A of FORM GSTR-4
	may be used for filling up these details.
7C	Aggregate value of all services imported during the financial year shall be
	declared here. Table 4D and Table 5 of FORM GSTR-4 may be used for
	filling up these details.
8A	Aggregate value of all inward supplies received from registered persons on
	which tax is payable by the supplier shall be declared here. Table 4A and
	Table 5 of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
8B	Aggregate value of all goods imported during the financial year shall be
	declared here.

4. Part IV consists of the details of amendments made for the supplies of the previous financial year in the returns of April to September of the current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
	Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in

10,11,12,13	the returns of the previous financial year but such amendments were	
and 14	furnished in Table 5 (relating to inward supplies) or Table 7 (relating to	
	outward supplies) of FORM GSTR- 4 of April to September of the current	
	financial year or upto the date of filing of Annual Return for the previous	
	financial year, whichever is earlier shall be declared here.	ĺ

5. Part V consists of details of other information. The instruction to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
15A,	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and pending for
15B, 15C	processing shall be declared here. Refund claimed will be the aggregate value
and 15D	of all the refund claims filed in the financial year and will include refunds
	which have been sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund
	sanctioned means the aggregate value of all refund sanction orders. Refund
	pending will be the aggregate amount in all refund application for which
	acknowledgement has been received and will exclude provisional refunds
	received. These will not include details of non-GST refund claims.
15E, 15F	Aggregate value of demands of taxes for which an order confirming the
and 15G	demand has been issued by the adjudicating authority has been issued shall be
	declared here. Aggregate value of taxes paid out of the total value of
٠.,	confirmed demand in 15E above shall be declared here. Aggregate value of
	demands pending recovery out of 15E above shall be declared here.
16A	Aggregate value of all credit reversed when a person opts to pay tax under the
	composition scheme shall be declared here. The details furnished in FORM
	ITC-03 may be used for filling up these details.
16B	Aggregate value of all the credit availed when a registered person opts out of
	the composition scheme shall be declared here. The details furnished in
	FORM ITC-01 may be used for filling up these details.
17	Late fee will be payable if annual return is filed after the due date.";

In the said rules, in **FORM GST EWB-01**, in the Notes, in serial number 7, in the Table, against Code 4 in the first column, for the letters and word "SKD or CKD" in the second column, the letters and words "SKD or CKD or supply in batches or lots" shall be substituted.

This notification shall deemed to have come into force w.e.f. 04th of September, 2018.
 By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 ARUN PARMAR, Dy. Secy.